रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)/72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 1986/कार्तिक 23, 1908
No. 258] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 1986/KARTIKA 23, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक-सूचना सं. 25—ई टी सी (पी एन.)/86

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1986

विषय:—रेशे/रेयन के हाथ से गांठ लगे हुए कालीनों का निर्यात।

फा. सं. 2/50/86/ई. 1.—उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं. ई. (सी) ओ, 1977/ए एम (328), दिनांक 14 नवम्बर, 1986 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. रेशे/रेयन के हाथ से गांठ लगे हुए कालीनों के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस सं. 3 के अन्तर्गत देने की निश्चिय किया गया है।

3. यह भी निश्चय किया गया है कि ऐसे रेशे/रेयन के हाथ से गांठ लगे हुए कालीनों के निर्यात की अनुमति पोतलदान बिल में सुस्पष्ट रूप से इस घोषणा पर दी जाएगी कि कालीन रेशे/रेयन से बने है और निर्यातक "रेशे/रेयन के स्थान पर आर्ट सिल्क" शब्द का प्रयोग नहीं करेगा।

4. तद्नुसार, आयात और निर्यात नीति पुस्तक, 1985-88 (खण्ड दो) के पृष्ठ 24 पर नीति विवरण में क्रम सं. 74 के बाद निम्न प्रविष्टि जोड़ी जाएगी:—

अनुसूची-1 के भाग ख में क्रम सं.	मद का ब्यौरा	लाइसेंसिंग नीति
74(1)	रेशे/रेयन के हाथ से गांठ लगे हुए कालीन	निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस सं.-3 के अन्तर्गत यथा व्यवस्थित अनुमेय होगा।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 25-ETC(PN)/86

New Delhi, the 14th November, 1986

Sub : Export of Staple/Rayon handknotted carpets

File No. 2/50/86E-1: Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O. 1977/AM(328) dated 14th November, 1986 on the above subject.

2. It has been decided to allow export of Staple/Rayon handknotted carpets under OGL No. 3

3. It has also been decided that export of Staple/Rayon handknotted carpets will be allowed on declaration in categorical terms that the carpets are made of Staple/Rayon in shipping Bills and exporters will not use the word "Art Silk in place of Staple/Rayon."

4. Accordingly the following entry shall be added in the Policy Statement after Serial Number 74 at Page 24 of the Import and Export Policy Book, 1985-88 (Volume-II):

S.No. as in Part 'B' of Schedule I	Description of the item	Licensing Policy
7. (i)	Staple/Rayon handknotted Carpets	Export will be allowed as provided under OGL No. 3.

R.L. MISRA, Chief Controller of Import & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986